भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1851

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

पोषण के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के लिए आबंटन

1851. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:
श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:
श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के लिए बजट आवंटन को 2022-23 में 12,800 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन से घटाकर 2023-24 में 11,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत निधि के संवितरण में विलंब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निधि का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त इनपुट के अनुसार, पीएम पोषण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू की गई सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जिसके माध्यम से पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन मिलता है।

(क) : वर्ष 2022-23 के लिए पीएम पोषण योजना के तहत आवंटित बजट 10,233.75 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, दूसरी किस्त कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी नहीं/आंशिक रूप से जारी की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष **2022-23** में प्रतिबद्ध देनदारियां बढ़ गई। इसके अलावा, सामग्री की लागत को 1 अक्टूबर, 2022 से वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा सामग्री लागत के ऊपर 9.6% की दर से बढ़ा दिया गया है। इसलिए वर्ष 2022-23 के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता थी। अतः वित्त मंत्रालय ने 10,233.75 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) के मुकाबले 2022-23 के संशोधित अनुमान (आरई) की राशि 12,800.00 करोड़ रुपये को अनुमोदित किया है, जो 2022-23 के दौरान मौजूदा मानदंडों के साथ योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई) 11,600.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के दौरान मौजूदा मानदंडों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त होने की संभावना है।

(ख) : योजना के तहत, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) - पीएम पोषण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) को मंजूरी देता है। केंद्रीय सहायता पीएबी-पीएम पोषण के अनुमोदन के आधार पर जारी की जाती है, जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के अधीन है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है:

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जीएफआर-12सी के निर्धारित प्रारूप में उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करना।

ii. निर्धारित प्रपत्र में खाद्यान्नों के आवंटन, लिफ्टिंग और उपयोग की सूचना प्रस्तुत करना।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए केंद्रीय हिस्से की पूरी राशि और राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में इसके संबंधित राज्य हिस्से का अंतरण।

iv. भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में केंद्रीय अंश से अर्जित ब्याज जमा करना।

v. निधि जारी करने के समय राज्य के हिस्से सहित एसएनए खाते में उपलब्ध निधि, जारी होने वाली संभावित किस्त (केंद्रीय हिस्सा + राज्य हिस्सा) के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vi. पीएम पोषण योजना के तहत केंद्र के साथ-साथ राज्य के हिस्से के लिए अलग-अलग बजट लाइन राज्य की विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) में खोली जानी चाहिए।

vii. राज्य को जारी किए गए धन का कम से कम 75% (केंद्रीय हिस्सा और संबंधित राज्य हिस्सा दोनों) उपयोग करना चाहिए।

viii. एसएनए के साथ सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) की मैपिंग।

(ग) : कुछ मामलों में, निधियों को जारी करने में समय लगता है क्योंकि जारी करने के लिए अपेक्षित उपर्युक्त औपचारिकताओं के अधूरे अनुपालन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावों को देर से प्रस्तुत किया जाना, उनके पास अव्ययित शेष राशि बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने, राज्य के खजाने में से एसएनए को केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से को हस्तांतरित करने में विलंब, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय की धीमी गति के कारण होती है। निधियों को जारी करने के लिए जारी किए गए स्वीकृति आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किए जाते हैं। स्वीकृति आदेश के आधार पर, वेतन और लेखा कार्यालय राज्य कोषागार को निधि जारी करता है।

*****